

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक- 1749 /11-सी-FP/UP/Trans/19337/2016, लखनऊ, दिनांक: फरवरी 20, 2017

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उ०प्र० शासन,
वन एवं वन्य जीव, अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:- जनपद-बाराबंकी में निर्माणाधीन 220 के०वी० कुर्सी रोड-पी०जी०आई०सी०एल० लाइन लखनऊ पारेषण लाइन के टावर लाकेशन संख्या-23 (बी+0) से (बी+5) के मध्य वन विभाग की भूमि के ऊपर कन्डक्टर की स्प्रिंग करने हेतु प्रभावित 0.581 हे० आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- अनुसचिव, उ०प्र० शासन का पत्रांक-पी-180/14-2-2016-800(203)/2016, दिनांक-19.01.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र के द्वारा वांछित, प्रस्तावक से प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि के लीज रेन्ट भुगतान की बचनबद्धता प्रमाण-पत्र वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा०वा० सरयू वृत्त, फैजाबाद ने अपने पत्रांक-2609/14-10, दिनांक-13.02.2017 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया है। उक्त पत्र की छायाप्रति सहित लीज रेन्ट भुगतान की बचनबद्धता प्रमाण-पत्र मूल में संलग्न कर, आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय

(सुरेश चन्द्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:-1749 /11-सी-FP/UP/Trans/19337/2016, दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा०वा० सरयू वृत्त, फैजाबाद।
2. प्रभागीय निदेशक, सा०वा० वन प्रभाग, बाराबंकी।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड, द्वितीय एस-348 शक्तिनगर, इन्दिरा नगर, ए-ब्लाक, लखनऊ।

(सुरेश चन्द्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।